श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर स्थित त्रिलोकपुर की दिनांक 08जनवरी 2026 को प्रातः11:00 बजे कार्यालय माननीय आयुक्त मन्दिर न्यास एवम उपायुक्त सिरमौर में आयोजित बैठक की कार्यवाही

दिनांक 08 जनवरी 2026 को मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर की बैठक माननीय आयुक्त मन्दिर न्यास एवम उपायुक्त सिरमौर श्रीमति प्रियंका वर्मा,भा.प्र.से. की अध्यक्षता मे प्रातः11:00 बजे आयोजित की गई। उक्त बैठक में मन्दिर न्यास के कुल 25 न्यासियों में से 18 न्यासी उपस्थित रहे, अतः हि.प्र.हिन्दू सार्वजनिक संस्थान एवम् पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 के नियम 18(6)अनुसार वांछित दो तिहाई कोरम पूरा रहा । उपस्थित न्यासियों की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम श्री राजीव सांख्यान (हि.प्र.से.) एस.डी.एम.नाहन एवम् सयुंक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा अध्यक्षा की स्वीकृति उपरान्त सभी अधिकारियो तथा न्यासियों का स्वागत किया गया तथा निम्नानुसार बैठक की कार्यवाही मदवार प्रारम्भ की गई–

कम संख्या	मद	विवरण	
1	**मन्दिर न्यास की 31 दिसम्बर 2025 तक की आय व्यय स्थिति**	संयुक्त आयुक्त मन्दिर के निर्देशानुसार सहायक प्रबन्धक लेखा द्वारा दिनांक 01–04–2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक की आय व्यय स्थिति बारे विस्तार से अवगत करवाया गया तथा सूचित किया गया कि गत 9 माह की कुल आय 12 करोड़ 49 लाख रु के लगभग रही है। व्यय की 12 करोड़ 14 लाख रु की राशि में वेतन, भण्डारा शैडनिर्माण, कैनोपी शैडनिर्माण , दिन रात भण्डारा सेवा, मेलों के आयोजन सहित सम्पूर्ण ग्राम त्रिलोकपुर में 5 शौचालय इकाईयों के 24 घण्टे संचालन सहित स्ट्रीट लाईटिंग सुविधा का व्यय भी शामिल है। इसके अतिरिक्त हिमुडा से क्रय की गई 86 बीघा भूमि की 9 माह की किश्तें 28लाख रु प्रतिमाह आधार पर जारी की गई हैं जोकि जुलाई 2027 तक देय होंगी। अध्यक्षा द्वारा सूचित किया गया कि त्रिलोकपुर में गत सप्ताह दौरे में सीवरेज तथा सफाई की व्यवस्था सन्तोषजनक नही पाई गई तथा शौचालयों के आकस्मिक दौरे में उचित रखरखाव न होना पाया गया। इस बारे चर्चा उपरान्त निर्देश दिए गए कि सफाई ठेकेदार को नोटिस दिया जाए कि सफाई कार्य में किसी प्रकार की कौताही न बरती जाए। मन्दिर के सफाई सुपरवाईजरों को भी निर्देश दिए गए कि वह सन्तोषजनक कार्य होने की बाद ही बिल का प्रमाणन व आगामी भुगतान हेतु सिफारिश करें तथा कार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर कटौती सुनिश्चित करे।	सहायक नियन्त्रक वित्त एवम् लेखा तथा सहायक प्रबन्धक,लेखा, सहायक प्रबन्धक मन्दिर

Joint Commissioner (Temple)-cum-SDM Nahan (H.P.)

		इसके अतिरिक्त बैठक में उपस्थित न्यास के सहायक नियन्त्रक श्री प्रताप सिंह परमार द्वारा अवगत करवाया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु अनुमानित आय और व्यय के आधार पर बजट और तकनीकी शाखा द्वारा निर्माण कार्यों की रुपरेखा तैयार करने का कार्य प्रगति पर है जिसके आधार पर मार्च माह की बैठक में वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त मद पर चर्चा उपरान्त अनुमोदन सहित निर्देश दिए गए कि बजट का प्रारुप आयुक्त महोदया के समक्ष समय रहते प्रस्तुत कर दिया जाए जिसमें आगामी वर्ष की समस्त निर्माण योजनाओं को शामिल कर गत वर्ष के अनुभव अनुसार सम्भावित व्यय का प्रावधान रखा जाए तथा व्यय बजट की परिधि में ही सुनिश्चित किए जाएं।	
2	मन्दिर न्यास की आयकर रिटर्नः	सहायक प्रबन्धक लेखा द्वारा सूचित किया गया कि गत वित्त वर्ष 2024–25 की आयकर रिटर्न चार्टड अकाउटेंट श्री रविन्द्र अग्रवाल के माध्यम से समय पर भर दी गई है तथा आयकर अधिनियम 12ए के तहत 4 लाख 69 हजार रु का टी.डी.एस. कटौती के वापिस न्यास को प्राप्त हो चुके है। यह भी अवगत करवाया गया कि मन्दिर न्यास के विरुद्ध वित्तवर्ष 2017–18 के दौरान 12ए चैलेंज कर आयकर लगा दिया गया था जिसे एडवोकेट श्री मदन लाल झाम्बा द्वारा दायर अपील व उनके निरन्तर प्रयासों के बाद आयकर पेनल्टि आदि की 4 करोड़ 68लाख रु लगभग राशि की छूट प्राप्त हो गई है तथा अपील हेतु जमा करवाए गए 68 लाख रु की राशि ब्याज सहित प्राप्त होनी शेष है इसके लिए पत्राचार करने के निर्देश हुए । यह भी अवगत करवाया गया कि आयकर अधिनियम 12ए तथा 80 जी के तहत आयकर छूट का नवीनीकरण आगामी वित्त वर्ष हेतु अनिवार्य है चुंकि आयकर विभाग द्वारा केवल तीन वर्षो के लिए ही पंजीकरण किया गया था जिस हेतु श्री रविन्द्र अग्रवाल प्रोपराइटर के.एम.अग्रवाल एसोसिएट्स तथा एडवोकेट श्री मदन लाल झाम्बा की निःशुल्क सेवांए ली जा रही हैं ताकि आगामी वर्षो में आयकर छूट सहित सम्बन्धित मामलों का समय पर निपटान किया जा सके। उक्त मद बारे अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि आयकर अधिनियम के तहत आगामी छूट हेतु 12ए व 80जी का पंजीकरण उपरोक्त एडवोकेट व सी.ए. के मार्फत अविलम्ब आवेदन करवा दिया जाए तथा वर्तमान वित्त वर्ष 2025–26 का आडिट भी करवाने के अनुमोदन सहित श्री मदन लाल झाम्बा,एडवोकेट तथा चार्टड अकाउटेंट श्री रविन्द्र अग्रवाल द्वारा दी जा रही निःशुल्क सेवाओं की प्रशंसा की गई व न्यास द्वारा दीर्घकाल से दी जा रही निःशुल्क सेवाओं हेतु आभार व्यक्त किया गया। यह भी निर्देश दिए गए कि माननीय उच्च न्यायालय के अक्टूबर 2025 माह में निर्देशों की अनुपालना में आडिट रिर्पोट वैबसाईट पर प्रदर्शित की जाए।	सहायक प्रबन्धक लेखा

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

3	माननीय उच्च न्यायालय हि.प्र. में दायर जन हित याचिका	संयुक्त आयुक्त द्वारा सूचित किया गया कि न्यास के कर्मचारी श्री भरत सिंह लिपिक जिनकी जन्म तिथि के संशोधन बारे मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं, श्री धीरज कुमार गैर सरकारी न्यासी तथा स्थानीय निवासी श्री करण सिंह तथा युद्धवीर सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर , अधीक्षक पुलिस सहित हिमाचल प्रदेश सरकार के विरुद्ध विभिन्न आरोपों के तहत एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसकी सुनवाई 9 मार्च 2026 को सुनिश्चित हुई है जिसका जवाब दायर किया जाना हैं। बैठक में उपस्थित धीरज कुमार, गैर सरकारी न्यासी द्वारा सूचित किया गया कि यह मामला 3–4 वर्ष पुराना है तथा अब उच्च न्यायालय में दायर किया गया है।संयुक्त आयुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि गत 3 वर्षों से मन्दिर की आय में बढ़ोत्तरी हुई जो कि न्यास की कार्य प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता के फलस्वरुप हुई है। चर्चा के दौरान संयुक्त आयुक्त द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि उपरोक्त शिकायतों के अतिरिक्त कर्मचारियों व न्यासियों के विरुद्ध कई शिकायतें तथा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत बार–2 कई आवेदन प्राप्त हो रहे है जबकि गत 2 वर्षों से कोई चोरी आदि का मामला नही पाया गया सिवाय उपरोक्त पी.आई. एल. कर्ताओं द्वारा नाहन स्थित विजिलेंस कार्यालय में गत वर्ष प्राथमिकि दर्ज की गई थी जो कि पुराने मामलों की पहले से चल रही जांच बारे है। इसके अतिरिक्त सोशल मिडिया व समाचार पत्रों में चल रही सुर्खियों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए गए कि न्यास द्वारा निर्माणाधीन कार्यों में हिमाचल प्रदेश वित्त नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चत की जाए। अध्यक्ष ने आदेश दिये कि उच्च न्यायालय मामलों का जवाब प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दास्त नहीं की जाएगी।	सहायक नियन्त्रक, मन्दिर अधिकरी, सहायक अभियंता, सहायक प्रबन्धक, लेखा
4	**Software तैयार करवाने हेतु मामला।**	मन्दिर न्यास परिसर मे स्थापित विभिन्न दान काउण्टर, स्टोर एवम् स्टॉक प्रबन्धन का Software तैयार करवाने हेतु मामला सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया जिस पर विस्तृत चर्चा उपरान्त अनुमोदन सहित निर्देश दिए गए कि इस प्रकार के सभी कार्यों में हिमाचल प्रदेश वित्त नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिशचित की जाए तथा क्रय आदि मामलों में गैर–सरकारी सदस्यों को शामिल करने सहित पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी स्थिति में न्यास से जुड़े कर्मचारियों/अधिकारियों व न्यासियों व उनके परिवार के सदस्यों को कार्य न दिया जाए जैसाकि Trust deed में निर्देशित भी है जिनके उल्लघंन होने की स्थिति में आयकर छूट रदद् हो सकती है जब भी किसी व्यक्ति या संस्था/फर्म को किसी भी कार्य का टैंडर दिया जाता है तो उससे शपथ पत्र लिया जाए कि वह मन्दिर के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी व न्यासी का रिश्तेदार नहीं है ।	मन्दिर अधिकारी तथा सहायक प्रबन्धक मन्दिर त्रि.म.न्यास

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

5	दान में प्राप्त वस्तुओं की विक्रय दरों का अनुमोदन	मन्दिरों में दान में प्राप्त वस्त्रों जैसे सूट/ साड़ियों/ शॉल /छत पंखों दिवार घड़ी /पीतल की घण्टियों आदि की विक्रय दरों का पुनः निर्धारण प्रस्तावित किया है ताकि अनावश्क भण्डारण को समय पर निपटाया जा सके तथा लेखा परीक्षा की आपत्तियों से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वस्तुओं के पूर्व में मन्दिर अधिकारी द्वारा निर्धारित दरों की न्यास की कार्योत्तर स्वीकृति भी प्रस्तावित की गई । अध्यक्ष द्वारा सहायक प्रबन्धक मन्दिर से जानकारी मांगी गई कि दान में प्राप्त वस्तुओं से औसत कितनी राशि प्राप्त हो जाती है जिसकी अनुपालना में अवगत करवाया गया कि गत वर्ष के अनुभवानुसार लगभग दो लाख रु प्रतिमाह की प्राप्तियॉ रहती हैं। यह भी सूचित किया गया कि सूट–साड़ियों का विक्रय जरुरतमदों को पांच–पांच के पैकेट बना कर दिया जाता है। विस्तृत चर्चा उपरान्त मन्दिर अधिकारी द्वारा निर्धारित पूर्व दरों पर कार्योत्तर स्वीकृति सहित **संलग्न क** अनुसार नई दरो को आंशिक परिवर्तन सहित अनुमोदित किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि यदि दान में सूची में निर्धारित वस्तुओं के अतिरिक्त भी कोई अन्य वस्तुएं प्राप्त होती है तो उसके लिए सहायक प्रबन्धक मन्दिर के मार्फत औचित्य सहित दरों को प्रस्तावित कर संयुक्त आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो कि न्यास की ओर से प्राधिकृत होंगे ।	मन्दिरअधिकारी ,सहायक प्रबन्धक मन्दिर
6	नए भण्डारा कॉम्पलेक्स निर्माण कार्य तथा बुकिंग की दरों का निर्धारण	नए भण्डारा कॉम्पलेक्स के निर्माण कार्य की समीक्षा एवम् लोकार्पण तथा भण्डारा हॉल की बुकिंग की दरों का निर्धारण 6000रु प्रति ब्लॉक मेलों के दौरान दिया जाना प्रस्तावित किया गया। इस के अतिरिक्त यदि कोई सस्था/व्यक्ति मेले के अतिरिक्त अन्य दिनों हेतु पूरे काम्लेक्स की बुकिंग करता है तो 31000रु एकमुश्त प्रस्तावित किए गए। उक्त मद बारे अध्यक्ष द्वारा पूछा गया कि भण्डारा काम्पलेक्स के निर्माण में अभी तक कितना व्यय हो चुका है जिसकी अनुपालना में अवगत करवाया गया कि उक्त शीर्ष पर एक करोड़ से अधिक राशि का व्यय हो चुका है तथा अभी तक निष्पादित किए गए कार्यो को एकीकृत किया जाना शेष है। उक्त काम्पलेक्स को किराए पर देने हेतु निम्नलिखित राशि विस्तृत **चर्चा उपरान्त तुरन्त प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया** 1. मेलों में प्रति ब्लॉक किराया राशि 6100रु प्रतिदिन	मन्दिर अधिकारी , सहायक प्रबन्धक मन्दिर

Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan (H.P.)

2. विवाह उत्सव हेतु सम्पूर्ण काम्पलेक्स 75000रु प्रतिदिन, जो कि जेनेरेटर सेट व सफाई रखरखाव सहित होंगें तथा स्थानीय ग्राम वासियों, न्यासियों व कर्मचारियों हेतु एकमुश्त 61,000रु राशि निर्धारित की गई।
अध्यक्षा तथा लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के परामर्श अनुसार धार्मिक स्थल की गरीमा

को बनाए रखने के दृष्टिगत विवाह उत्सवों में शराब व मांस के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रखने की शर्त रखी गई जिसके उल्लघंन होने पर निर्धारित शुल्क के बराबर दण्ड निर्धारित रहेगा।

3. जागरण हेतु 51000रू निर्धारित रखने का निर्णय लिया गया।

4. अल्पकालिक धार्मिक आयोजन जैसे माता की चौंकी आदि हेतु एकमुश्त राशि 31000रु निर्धारित रखने का निर्णय लिया गया।

चर्चा उपरान्त यह भी निर्देश दिए गए कि उपरोक्त बुकिंग हेतु आवेदन के लिए शर्तों का निर्धारण किया जाए तथा **मन्दिर अधिकारी के माध्यम से संयुक्त आयुक्त को प्रस्तुत किए जाएं जो कि न्यास की ओर से प्राधिकृत होंगें** तथा सभी शर्तों की अनुपालना हेतु एफिडेविट प्राप्ति उपरान्त की स्वीकृत प्रदान की जाए।

लोक निर्माण विभाग की ओर से उपस्थित श्री आलोक जनवेजा अधिशासी अभियन्ता के परामर्श अनुसार उक्त काम्पलेक्स में यथा आवश्यक सी.सी.टी.वी. व वातानुकूलन का प्रावधान तथा सोलर पैंनल लगवाना भी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया क्योकि भण्डारा कॉप्लैक्स में विद्युत लोड अधिक होगा इस लिए अधिशासी अभियन्ता विद्युत के परामर्श पर एक अलग ट्रांसॅफार्मर लगवाने का अनुमोदन भी किया गया। न्यास द्वारा उक्त भवन का उद्घाटन माननीय विधायक नाहन या उनके द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति से करवाने का प्रस्ताव भी पास किया ।

Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan (H.P.)

7	**शिव मन्दिर व तालाब का सौन्दर्यकरण :**	संयुक्त आयुक्त मन्दिर एवम् एस.डी.एम. द्वारा अवगत करवाया गया कि त्रिलोकपुर स्थित शिव मन्दिर व तालाब का सौन्दर्यकरण करवाया जाना है जिसमें प्रथम चरण में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु बोटिंग कार्य करवाया जा रहा है तथा प्रति तीस मिनट बोटिंग के रेट तय करने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त शिव मन्दिर तालाब के चारों तरफ के क्षेत्र को मनोरंजन पार्क के रुप में विकसित करने का प्रस्ताव रख गया जिस के साथ कैफेटेरिया का जीर्णोद्धार ,यात्रियों के बैठने हेतु बैंच इत्यादि लगाने व फाईबर के पुतले टोपियरी आदि सेल्फि प्वाईंट हेतु लगाने प्रस्तावित किए गए। यह भी अवगत करवाया गया कि श्री रेणुका जी बोर्ड द्वारा विशाल रेणुका झील हेतु 500रु प्रति बोट तीस मिनट की दरें निर्धारित हैं जिसमें बोट्स व सुरक्षा आदि सहित कर्मचारियों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है व एक निश्चित राशि एकमुश्त बोर्ड को आय के रुप में प्राप्त होती है किन्तु त्रिलोकपुर स्थित शिव मन्दिर का तालाब उपरोक्त की तुलना में बहुत छोटा क्षेत्र है। **उक्त मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त सैद्धान्तिक अनुमोदन सहित निर्णय लिया गया कि श्री रेणुका जी बोर्ड की तर्ज पर बोटिंग सुविधा त्रिलोकपुर में उपलब्ध करवाई जाएगी** जिसमें boats, safety team व attendent ठेकेदार के होंगें जो कि प्रति व्यक्ति 125रु यात्रियों से प्रति तीस मिनट दरें निर्धारित रहेंगी तथा ठेकेदार द्वारा जी.एस.टी. भुगतान उपरान्त शेष रशि से 45 प्रतिशत की राशि न्यास को देने के लिए जिम्मेदार होगा। शिव मन्दिर में प्रस्तावित अन्य सौन्दर्यकरण ,सैल्फी प्वाईंट,फाईबर के पुतले व बैंच आदि कार्यों हेतु न्यास की ओर से संयुक्त आयुक्त महोदय को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया साथ ही उद्घाटन विधायक महोदय से करवाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ।	सहायक अभियंता एवम मन्दिर प्रभारी
8	**स्वर्ण सामग्री को स्टेट बैंक के पास गोल्ड मोनिटाईजेशन स्कीम के तहत रखने हेतु :**	संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा सूचित किया गया कि भाषा कला एवम् संस्कृति विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशों अनुसार स्वर्ण सामग्री को गोल्ड मोनिटाईजेशन स्कीम के तहत स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पास रखा जाएगा जिससे ब्याज की उचित राशि भी न्यास को आय के रुप में प्राप्त हो सकेगी व जमा स्वर्ण एस.बी.आई के पास सुरक्षित रहेगा यह भी अवगत करवाय गया कि माननीय आयुक्त महोदया द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जो कि त्रिलोकपुर स्थित दृढ़ कक्ष में रखे स्वर्ण व चांदी को अलग–2 करने का कार्य सुनिश्चित करेगी। **गोल्ड मोनिटाईजेशन स्कीम के तहत स्वर्ण सामग्री को स्टेट बैंक को सौंपने का कार्य हि.प्र.हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम् पूर्त विन्यास अधिनियम में 2010 में हुए संशोधनानुसार कमेटी गठित करके** स्वीकृति के लिए मामला विभाग को भिजवाया गया है।	सहायक नियन्त्रक (वित्त एवम लेखा) तथा मन्दिर अधिकारी

Joint Commissioner (Temple)-cum-SDM Nahan (H.P.)

9	**पशुपालन डिसपेन्सरी का निर्माण कार्य**	सहायक अभियंता द्वारा अवगत करवाया गया कि त्रिलोकपुर स्थित हिमुडा भूमि में पशुपालन डिसपेन्सरी के निर्माण कार्य मन्दिर न्यास द्वारा करवा दिया गया है जो कि मन्दिर की पुरानी सराय के समीप स्थित पुरानी जीर्णशीर्ण भवन सहित न्यास द्वारा ली गई दो बीघा के लगभग भूमि के बदले न्यास के पूर्व बैठकों में निर्णयों व माननीय आयुक्त मन्दिर से नियमानुसार अनुमोदन उपरान्त निर्मित की गई है जिस पर अभी तक 21 लाख के लगभग व्यय हो चुका है तथा अन्तिमकरण में कुछ कार्यों हेतु प्राकलन तैयार कर संयुक्त आयुक्त को प्रस्तुत किए गए हैं । न्यास ने शेष बचे कार्य को भी करवाने की स्वीकृति प्रदान की । चर्चा उपरान्त उपरोक्त कार्य के अनुमोदन सहित निर्देश दिए गए कि माननीय विधायक महोदय से आगामी चैत्र मेला से पूर्व समय लेकर उक्त डिस्पेंसरी का लोकापर्ण किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गए कि पशुपालन विभाग से ली गई पुरानी भूमि के बदले दी गई भूमि को भी राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लिया जाए तथा भवन को लोकापर्ण के पश्चात न्यास द्वारा स्थापित सामग्री के स्टॉक सहित सौंपना भी सुनिश्चित किया जाए।	सहायक अभियंता एवम सहायक प्रबन्धक मन्दिर
10	माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को पारित आदेशों की अनुपालना	संयुक्त आयुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि गत बैठक जो कि दिनांक 14 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी, में गैर सरकारी न्यासियों द्वारा न्यास के समक्ष ग्राम त्रिलोकपुर हेतु विभिन्न निर्माण कार्यों के प्रस्ताव रखे गए थे जिन्हे अब केवल माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश से दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को सी. डब्ल्यु.पी.संख्यां 1834 /2018 **Kashmir Chand Shandyal versus State of H.P. and others** में पारित आदेशों की परिधि में ही करना सम्भव है।	समस्त अधिकारी , न्यासी व कर्मचारी
11	**छछरोली स्थित भूमि लीज पर देने बारे :**	बैठक में उपस्थित मन्दिर न्यास के सहायक नियन्त्रक (वित्त एवम लेखा) द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा सहायक अभियंता तथा गैर सरकारी न्यासी श्री सुरेश कुमार सहित छछरोली स्थित भूमि का दौरा किया गया था जिस पर कई वर्ष पुर्व लगाए गए पापुलर ने वृक्षों की स्थिति अब ठीक नही है तथा पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं। गैर सरकारी न्यासी श्री सुरेश कुमार के परामर्श दिया गया कि उक्त भूमि जो कि लगभग 6बीघा है को साफ करवा कर लीज़ पर दिया जाए तो अच्छी रकम न्यास को आय के रुप में प्राप्त हो जाएगी। संयुक्त आयुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त भूमि पर पूर्व वर्षों में 20 लाख रु के लगभग व्यय किया जा चुका है। अतः जैसी है वैसी स्थिति में प्रथमतः एकमुश्त 15 वर्षों हेतु लीज पर दे दिया जाए चुंकि अब इस भूमि पर अनावश्यक व्यय करने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता, सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन सहित अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि उपरोक्त भूमि को लीज पर देने हेतु पूर्ण पारदर्शिता तथा हि.प्र.हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम् पूर्त विन्यास अधिनियम अनुसार वांछित कार्रवाई की अनुपालना सहित व्यापक प्रचार किया जाए।	मन्दिर अधिकारी तथ सहायक अभियंता एवम मन्दिर प्रभारी

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

12	**यात्री निवास के कमरों की बुकिंग दरों का पुनः निर्धारण :**	यात्री निवास के कमरों की बुकिंग दरें वर्ष 2016 से बढ़ाई नही गई है जबकि समय–2 पर सुविधाओं में सुधार किया जा चुका है। अतः उक्त दरों का पुर्ननिर्धारण किया जाना प्रस्तावित किया गया। साथ ही यात्री निवास के सभी कमरों में एल.ई.डी. स्कीन की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी है चुंकि पुराने मॉडल के टी.वी.आउटडेटिड हो चुके हैं। सहायक अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि यात्री निवास तथा यात्री भवन में यात्रियों को देने हेतु 40–40 कक्ष उपलब्ध हैं इसके अतिरिक्त पुरानी सराय में 75 कक्ष उपलब्ध हैं। यात्री निवास की नवीन दरों को **अनुसंलग्नक–ख** के अनुसार चर्चा उपरान्त अनुमोदित किया गया तथा अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि समस्त कय मामलों हेतु हिमाचल प्रदेश वित्त नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिशचित की जाए। साथ ही पुराने खराब टी.वी. सहित अन्य खराब हो चुकी सामग्री कन्डमनेशन बोर्ड के माध्यम से नकारा घोषित करने की कार्रवाई भी अविलम्ब अमल में लाई जाए। यह भी निर्देश दिए गए कि यात्री निवास, यात्री भवन तथा संग्राहलय में स्थापित समस्त सामग्री का भौतिक सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाए ताकि लेखा परीक्षा में लगे पैरों का भी निपटान हो सके।	मन्दिर अधिकारी
13	**मन्दिर के मुख्य मार्ग से मुख्य गेट तक गली की मुरम्मत**	सहायक अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि त्रिलोकपुर स्थित बाजार की सड़क से मन्दिर के मुख्य गेट को जोड़ने वाली गली की स्थिति बहुत ही खराब है जिसमें पानी की निकासी की उचित सुविधा भी नही है, अतः इसकी मुरम्मत प्रस्तावित है। उक्त मद पर चर्चा उपरान्त सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी अवगत करवाया गया कि गत वर्ष आयोजित न्यास की बैठक दिनांक 14–08–2025 में निर्णयानुसार विशेष क्षेत्र प्राधिकरण त्रिलोकपुर (SADA) द्वारा उपरोक्त गली में स्थापित सीवरेज लाईन कनेक्शन हेतु आवश्यक राशि जल शक्ति विभाग को प्राप्त हो चुकी है। अध्यक्ष द्वारा जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए गए कि स्थानीय ग्राम वासियों की आपत्तियों को निपटारा करके उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए	सहायक अभियंता एवम मन्दिर प्रभारी
14	**मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यो बारेः**	सहायक नियन्त्रक वित्त एवम् लेखा द्वारा प्रस्तावित किया गया कि मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर में करवाए जा रहे निर्माण कार्यो हेतु अधिकृत अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृत आवश्यक है। सहायक अभियंता न्यास को प्रदत्त शक्तियॉ डी.आर.डी.ए. के सहायक अभियंता के समकक्ष प्रदान की गई थी परन्तु उक्त विभाग में सहायक अभियंता का पद समाप्त होने के कारण सहायक अभियंता न्यास को प्राकलन के तकनीकी स्वीकृति हेतु शक्तियॉ जिला परिषद –10 लाख रु की सम्बन्धित सहायक अभियंता के समकक्ष प्रदान करना प्रस्तावित है। तथा 10 लाख रु से अधिक के प्राकलनों की तकनीकी स्वीकृति जल शक्ति विभाग /लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से लिया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त न्यास द्वारा अब तक करवाए गए कार्यो की कार्योतर (Ex post Facto) तकनीकी स्वीकृति जल शक्ति विभाग /लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से ली जानी प्रस्तावित है ताकि भविष्य में लेखा परीक्षा आपत्ति से बचा जा सके।	**सहायक अभियंता तथा स.प्र.लेखा**

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियनता की सहर्ष सहमति अनुसार 10 लाख रू से अधिक की तकनीकी स्वीकृति हेतु मामले उक्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते है। अन्त में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व निष्पादित कार्यो वर्ष 2019–2025 तक की कार्योत्तर स्वीकृति लेने हेतु सहायक अभियन्ता न्यास द्वारा वांछित कार्यवाही अमल में लाई जाए। सहायक अभियन्ता मन्दिर न्यास को जिला परिषद के सहायक अभियन्ता के समकक्ष शक्तियां प्रदान की जाती है तथा 10 लाख रू से अधिक के मामलों को तकनीकी स्वीकृति के लिए अधिशाषी अभियन्ता जल शक्ति/लोक निर्माण विभाग को भेजे जाए।	
15	**सुगम दर्शन प्रणाली लागू करने हेतुः**	बैठक में उपस्थित जिला भाषा अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि निदेशक भाषा एवम् संस्कृति विभाग हि. प्र. के पत्र की तर्ज अनुसार माता श्री चिन्तपुर्णी जी मन्दिर न्यास की तर्ज पर त्रिलोकपुर पधारने वाले जो श्रद्धालु मन्दिर न्यास लिफ्ट का उपयोग कर सुगमता से दर्शन करना चाहते हैं वह भी एक राशि देकर दर्शन कर सकते हैं। इस प्रणाली में दर्शन के लिए तीन लेवल बनाए गए हैं – 1. लेवल एक के तहत अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए निःशुल्क पास बनाया जाता है 2. लेवल दो के तहत वृद्ध,बीमार,दिव्यांगजन आदि हेतु मात्र 50रु शुल्क पर अपना प्रमाण पत्र देकर एक परिचारक सहित लिफ्ट का उपयोग कर माता के दर्शन कर सकते हैं। 3. लेवल तीन के तहत कोई भी श्रद्धालु 1100रु शुल्क देकर चार सदस्यों सहित कुल पांच सदस्य लिफ्ट का उपयोग कर माता के दर्शन कर सकते हैं। उक्त मद पर चर्चा के दौरान जिला भाषा अधिकारी श्रीमति कांता नेगी द्वारा अवगत करवाया गया कि उपरोक्त दरें चिन्तपुर्णी न्यास द्वारा लागू की गई हैं जिससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी हुई है। मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर यदि उचित हो तो इसी तर्ज पर सार्वजनिक सुविधा अनुसार दरों में संशोधन कर कम कर सकता है व आय का स्त्रोत विकसित कर सकता है। चर्चा की गई कि वर्तमान में उक्त व्यवस्था को निःशुल्क ही रखा जाए तथा जिला भाषा अधिकारी से अनुरोध किया गया कि वह बैठक का निर्णय निदेशक संस्कृति विभाग स्थित शिमला को अवगत करवा दें।	**जिला भाषा अधिकारी**
16	मन्दिर का नाम व कॉपी राईट व logo पंजीकृत करने बारे।	संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा सूचित किया गया कि **श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर ,तहसील नाहन सिरमौर हि.प्र. पंजीकृत हि.प्र.सरकार** के नाम का कॉपी राईट व logo पंजीकृत करने बारे प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ताकि अन्य प्रदेशों में पंजीकृत निजि व्यक्तियों द्वारा स्थापित निजि संस्थाओं का मन्दिर के समान नामकरण कर दुरुपयोग ना हो सके और न्यास को हो रहे आर्थिक नुक्सान से बचाया जा सके। उल्लेखनीय है कि गत एक दशक से कई निजि संस्थाएं आस्तित्व में आ गई हैं जिनके द्वारा	मन्दिर अधिकारी तथा सहायक नियन्त्रक

Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan (H.P.)

		त्रिलोकपुर मे भण्डारों व भवन निर्माण आदि के नाम से बैनर्स, पोस्टर, कैलेण्डर आदि के माध्यम से दान के लिए स्कैन कोड तक प्रचारित कर दिए गए हैं। न्यास के संज्ञान में लाया गया कि त्रिलोकपुर पधारने वाले श्रद्धालु भ्रमित हो कर सरकारी मन्दिर न्यास को दान न देकर निजि संस्थाओं को भारी दान राशि दे चुके हैं जबकि ग्राम त्रिलोकपुर में यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं कानून एवम् सुरक्षा , मेलों का आयोजन व वर्षभर निर्माण एवम् विकास कार्यों की जिम्मेदारी हि.प्र. सरकार द्वारा अधिसूचित मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर की है। उपरोक्त प्रस्ताव के अनुमोदन सहित यह भी निर्देश दिए गए कि त्रिलोकपुर में स्थापित विभिन्न प्रदेशों में पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं जो कि यात्रियों से त्रिलोकपुर में हिमाचल प्रदेश की परिधि में विकास कार्यों के नाम पर दान राशि प्राप्त करते हैं का गत तीन वर्षों की आडिट रिर्पोट प्राप्त कर विश्लेषण एस.डी.एम. नाहन के मार्फत करवाया जाए कि उन्के द्वारा किन विकास कार्यों को करवाया गया है तथा कितनी–2 राशि यात्रियों से प्राप्त की गई है।	
17	SOP (Standard Operating Procedure) for Cash Counting	मन्दिर न्यास द्वारा परिसर स्थित विभिन्न स्थान/मन्दिरों में नगदी चढ़ावा हेतु स्थापित दान पात्रों को समय पर खोलने तथा नगदी आदि सामान की गणना सुनिश्चित करना प्रस्तावित है। जैसा कि विदित है वर्तमान में नगदी गणना कार्य निर्धारित माप दण्डों अनुसार संयुक्त आयुक्त द्वारा गठित गणना समिति के माध्यम से की जा रही है फिर भी पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु एक स्पष्ट व विस्तृत दिशा निर्देशिका वांछित है। उक्त प्रस्ताव का चर्चा उपरान्त अनुमोदन सहित यह भी निर्देश दिए गए कि पूर्व अनुभव अनुसार नंई SOP तैयार कर अनुमोदन हेतु आयुक्त मन्दिरं के समक्ष रखी जाए तथा इसे न्यास की वैबसाईट पर भी प्रचारित किया जाए।	सहायक नियन्त्रक (वित्त एवम लेखा) तथा सहायकप्रबन्धक लेखा
18	त्रिलोकपुर में एक नवीन गौशाला निर्माण बारे	संयुक्त आयुक्त द्वारा सूचित किया गया कि 14 अगस्त 2025 को आयोजित बैठक में एक नवीन गौशाला निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था जिस हेतु स्थान का चयन कर लिया गया है। इस आशय हेतु पृथक बैंक खाता निर्धारित किया गया है जिसमें उक्त गौशाला निर्माण हेतु प्राप्त दान राशि का आहरण और वितरण का प्रावधान प्रस्तावित किया गया। न्यास के ध्यान में लाया जाता है कि वर्ष 2018 में हि.प्र.हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक सस्थान एवम् पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 में संशोधन के बाद गौवंश हेतु मन्दिरों की आय का 15 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है अतः उपरोक्त प्रस्तावित गौशाला इसी परिधि में शामिल रहेगी तथा नाहन स्थित गौशाला को भी इसी खाते से एग्रीमेंट अनुसार सहयोग राशि जारी की जाएगी ।	सहायक अभियंता एवम मन्दिर प्रभारी

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		उपरोक्त प्रस्ताव के अनुमोदन सहित बैठक में विशेष आमन्त्रित दानी सज्जन करनाल निवासी श्री घनश्याम गोयल व आर्किटेक्ट श्री उमेश गुलाटी जो कि सहर्ष निःशुल्क सेवाओं हेतु उपस्थित हुए हैं को अनुरोध किया गया कि वह नवीन प्रस्तावित गौशाला सहित अन्य कार्यो हेतु प्लान तैयार कर प्रस्तुत करें। उक्त दानी सज्जन के अनुरोध अनुसार करनाल स्थित गौशाला का दौरा करने का निर्णय लिया गया तथा आर्किटेक्ट को आगामी कार्य हेतु वांछित सर्वे प्लान हेतु सहायक अभियंता न्यास तथा मार्गदर्शन हेतु लोक निर्माण विभाग के श्री आलोक जनवेजा अधिसाशी अभियंता की सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया जिसकी उन्के द्वारा सहर्ष स्वीकृति दी गई साथ ही माननीय विधायक महोदय जी, (नाहन) से गौशाला की शिलान्यास करवाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।	
19	गैर लाभकारी डिवाईन शॉप की स्थापना तथा संग्राहलय संचालन का समय निर्धारण बारे।	प्रस्तावित किया गया कि संग्राहलय में एक गैर लाभकारी डिवाईन शॉप की स्थापना की जाए जिसमें श्रद्धालुओं को धार्मिक वस्तुओं एवम् पुस्तकों को न्यूनतम दरों पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान हो। जिसे सग्रहालय में खोला जाए इसके अतिरिक्त श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु उक्त संग्राहलय का संचालन समय प्रातः 6 बजे से सांय 7 बजे तक सुनिश्चत करना भी प्रस्तावित है ताकि कोई भी श्रद्धालु इसके लाभ से वंचित न हो। उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन सहित निर्देश दिए गए कि अधीक्षक ग्रेड टू द्वारा कर्मचारियों को कार्य आबंटन कर उपरोक्त प्रस्तावित समय में डियुटि सुनिश्चित की जाए तथा डिवाईन शाप में वांछितं धार्मिक पुस्तकों की नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर के रखरखाव सहित अनुपालना की जाए।	सुपरवाईजर संग्राहलय तथा सहायक प्रबन्धक/ मन्दिर प्रभारी
20	चैत्र नवरात्र मेला 2026 के आयोजन बारे।	जैसा कि विदित है कि इस बार चैत्र नवरात्र मेला 2026 दिनांक 19 मार्च 2026 से 02 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया जाना है। अतः यह प्रस्तावित है कि उक्त मेला के सफल आयोजन हेतु विभिन्न निविदाएं आमन्त्रित करना तथा अन्य तैयारियों की रुपरेखा तैयार की जाए ताकि समय रहते नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाए।	मन्दिर अधिकारी
21	अन्य मदे अध्यक्ष की अनुमति से	संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा अध्यक्ष की स्वीकृति उपरान्त निम्नलिखित अन्य प्रस्ताव भी रखे गए जिन पर विस्तृत चर्चा सहित अनुमोदन दिया गया	
	(i)	मन्दिर परिसर में दानी सज्जनों से स्वैच्छिक पुरानी वस्तुओं को दान में देने हेतु अपील की जाएगी जिसे गरीब लोगों को 50रु के मुल्य पर उपलब्ध करवाया जा सकेगा संयुक्त आयुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि पुण्य कार्यो में कई स्थानों पर नेकी की दिवार के नाम प्रचलित है इसी तर्ज पर न्यास की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव रखा गया है। उक्त मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त अनुमोदित कर दिया गया तथा न्यास की ओर से इस मद में अन्य निर्णय लेने के लिए संयुक्त आयुक्त मन्दिर को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।	सहायक अभियंता एवम मन्दिर प्रभारी

Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan (H.P.)

	(ii)	मुख्य मन्दिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश व निकासी हेतु दरवाजों की चौडाई बढानें का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	सहायक अभियंता न्यास
	(iii)	संयुक्त आयुक्त मन्दिर के प्रस्ताव अनुसार त्रिलोकपुर पधारने वाले श्रद्धालुओं को प्राकृतिक तिलक सिन्दूर के पौधे से प्राप्त सिन्दूर को प्रारम्भिक तौर पर उदाहरण के रूप में प्रयोग करने का निर्णय लिया। उक्त आशय हेतु सहायक प्रबन्धक मन्दिर को आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति उपरान्त प्राकृतिक तिलक हेतु सिन्दूर कय बारे आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।	मन्दिर अधिकारी
	(iv)	गैर सरकारी न्यासी श्री धीरज कुमार , श्री सुरेश तथा श्री निखिल द्वारा प्रस्तावित किया गया कि मन्दिर परिसर में व देवताओं के समक्ष यात्रियों द्वारा मुरमुरे का प्रसाद चढ़ाया जाता है जो कि प्रसाद के लिफाफे से निकालते व चढ़ाते समय बहुत अधिक परिसर में बिखर जाता है व गन्दगी फेल जाती है जबकि यह प्रसाद की श्रेणी में भी नही आता। गैर सरकारी न्यासी श्री दलबीर सिंह द्वारा अवगत करवाया गया कि माता के प्रसाद के रुप में केवल हलवा, बर्फी, मिस्री, पंचमेवा /मीठी खील रखी जा सकती है। न्यास द्वारा प्रसाद आबंटन में पहले से पैक्ड मिस्री का प्रसाद हाईजैनिक व प्रशंसनीय है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि त्रिलोकपुर मन्दिर में मुरमुरे के प्रसाद चढ़ाने पर प्रतिबंध रखा जाए जिस बारे स्थानीय दुकानदारों को भी अवगत करवा दिया जाए।	मन्दिर अधिकारी
	(v)	प्रस्तावित किया गया कि श्री नरेश चौधरी जो कि गत तीन वर्षों से विदेश में सेटल हो गए हैं अतः उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति का चयन किया जाए ताकि कोरम प्रभावित न हो। उक्त प्रस्ताव को सहर्ष अनुमति दी गई व मामला आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	मन्दिर अधिकारी
	(vi)	बैठक में विशेष आमन्त्रित दानी सज्जन घनश्याम गौयल व श्री उमेश गुलाटी आर्किटेक्ट की स्वैच्छिक निःशुल्क सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया जो कि सहायक अभियंता की देखरेख में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के मार्गदर्शन में अपनी सेवाएं देंगें।	सहायक अभियंता न्यास व लोक निर्माण विभाग
	(vii)	गैर सरकारी न्यासी श्री सुरेश कुमार के द्वारा पूछा गया कि गत लगभग 10 वर्षों से लम्बित दो कर्मचारियों के करुणामूलक आधार पर नियुक्त करने का मामला आज दिन तक लम्बित है तथा इस पर अभी तक भी कोई निर्णय सूचित नही किया गया जबकि दो कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक दशा बहुत दयनीय है। उक्त मद बारे सयुंक्त आयुक्त महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि यद्यपि हि.प्र. सरकार के नियमों अनुसार कुल कैडर स्ट्रैन्थ का पांच प्रतिशत होता है जिसमें करुणामूलक आधार पर पात्रता नही बन रही थी तदापि न्यास द्वारा उक्त परिवारों की आर्थिक दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष स्वीकृति हेतु मामला भाषा,कला एवम् संस्कृति विभाग को गत दो माह पूर्व भिजवा दिया था जिस हेतु पुनः स्मरण पत्र जारी किया जाएगा।	मन्दिर अधिकारी

Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan (H.P.)

	(viii)	श्री सुरेश कुमार, गैर सरकारी न्यासी द्वारा पूछा गया कि गत वर्ष आश्विन मेला 2025 की बैठक में जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए गए थे कि वह टेडी ब्रोटी –सैनवाला मार्ग पर थापलों वाली घाटी पर स्थापित पेयजल योजना की पाईप क्यों ठीक नही करवाई गई। इस बारे जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत करवाया गया कि यह कार्य निविदा प्रकिया में है व आगामी मेला से पूर्व वांछित कार्य करवाने का प्रयास किया जाएगा।	अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग
	(ix)	श्री सुरेश कुमार गैर सरकारी न्यासी के अनुरोध अनुसार मन्दिर न्यास की आगामी बैठकों का आयोजन यथा सुविधा अनुसार त्रिलोकपुर स्थित यात्री निवास मिटिंग हॉल में करने का निर्णय लिया गया ।	मन्दिर अधिकारी

(प्रियंका वर्मा)भा.प्र.से.
उपायुक्त सिरमौर एवम् आयुक्त
मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर ।

Deputy Commissioner-cum-
Commissioner
Trilokpur Temple Trust

कमांक–स.आ./त्रि.म.न्यास/वार्षिक बैठक– /2026-280 दिनांक 31-01-2026

प्रतिलिपि सेवामें,

1.मुख्य आयुक्त मन्दिर भाषा, कला एवम् संस्कृति विभाग स्थित शिमला, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2.निदेशक एवम् अतिरिक्त मुख्य आयुक्त मन्दिर, भाषा ,कला एवम् संस्कृति विभाग शिमला को सूचनार्थ प्रेषित।
3.एस.डी.एम.नाहन एवम् सहायक आयुक्त मन्दिर व समस्त न्यासियों व अधिकारियों को सूचनार्थ व यथा निर्णय अनुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
4.तहसीलदार नाहन मन्दिर अधिकारी को सूचनार्थ व अनुपालनार्थ प्रेषित।
5.सहायक अभियंता मन्दिर न्यास, सहायक प्रबन्धक,लेखा व मन्दिर, को अनुपालनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त सिरमौर एवम् आयुक्त
मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर।

Deputy Commissioner-cum-
Commissioner
Trilokpur Temple Trust